मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः25.02.2026

थाना राजगढ़ व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में ₹ 25000/- का इनामियाँ गो-तस्करी का वांछित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, मौके से अवैध तमंचा व कारतूस, मोटरसाइकिल व ₹ 50500/- नगद बरामद —

'अपर्णा रजत कौशिक' पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा पुरस्कार घोषित/इनामियाँ/गो-तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिए गये हैं।

थाना राजगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-30/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित/फरार चल रहे शातिर गो-तस्कर मेहंदी हसन उर्फ लल्लू नट की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 25000/- का इनाम घोषित किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना राजगढ़ व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः25.02.2026 को थाना राजगढ व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि इनामियाँ व 02 मुकदमों में वांछित गो-तस्कर संतनगर क्षेत्र से गोवंशों की खरीद-फरोख्त का काम कर मोटरसाइकिल से सक्तेशगढ़ की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर थाना राजगढ़ व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया परन्तु मोटरसाइकिल सवारों द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु तलेर जंगल सेमरी के पास पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीमों द्वारा आत्मरक्षार्थ सीमित जवाबी फायर की गयी, जिसमें ₹ 25000/- के इनामियाँ वांछित गो-तस्कर मेहंदी हसन उर्फ लल्लू नट पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम शाहपुर चौसा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर के बांए पैर में गोली लगी। जिसे पुलिस अभिरक्षा में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है, उसकी स्थिति सामान्य है जबकि दूसरा गो-तस्कर भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मौके से मुठभेड़ की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस, एक टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल एवं अभियुक्त के पास से ₹ 50500/- नगद बरामद किया गया तथा मौके से फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ की उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त —

मेहंदी हसन उर्फ लल्लू नट पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम शाहपुर चौसा थाना को0देहात जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-32 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस।

टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल।
₹ 50500/- नगद।

आपराधिक इतिहास —

1.मु0अ0सं0-09/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सन्तनगर, मीरजापुर।

2.मु0अ0सं0-22/2026 धारा 319(2),318(4),336(3),340(2)बीएनएस, 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना लालगंज, मीरजापुर।

3.मु0अ0सं0-30/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना राजगढ़, मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक-वेद प्रकाश पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना राजगढ़ मय पुलिस टीम।
निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय पुलिस टीम।